उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// ज्ञापन //

क्रमांक B/4763 /
बी.एफ. 9/19

जबलपुर, दिनांक 17 /09/2019

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
.....

यथानिर्देशित आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को इस तथ्य से अवगत करायें कि उनके यहां लंबित अपराधिक प्रकरणों में जब भी न्यायिक अधिकारियों (जिले से अन्य स्थानों में पदस्थ) की, साक्ष्य हेतु आवश्यकता हो तो समंस के साथ संबंधित न्यायिक अधिकारी को संबोधित ''लेटर ऑफ रिक्वेस्ट'' भेजना अनिवार्य है तथा ऐसा निवेदन पत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से भेजें।

यदि न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारी (जिनकी साक्ष्य हेतु आवश्यकता है) एक ही जिले में पदस्थ हों तब साक्ष्य हेतु अनुमति उच्च न्यायालय के माध्यम से भेजना आवश्यक नहीं है परन्तु उन्हें संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

आपसे यह भी निवेदन है कि अन्य जिलों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को साक्ष्य हेतु जब तक कि उनकी साक्ष्य आवश्यक न हो, रजिस्ट्री को अग्रेषित न करें।

यह विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे समंस जिनके द्वारा अन्य जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारी को आहूत किया जा रहा है, रजिस्ट्री की अनुमति प्राप्त करने हेतु कम से कम 10 दिन पूर्व ''लेटर ऑफ रिक्वेस्ट'' वांछित जानकारी सहित उच्च न्यायालय को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।

यथा संभव न्यायिक अधिकारियों को साक्ष्य हेतु ''अकार्य दिवस – शनिवार'' को आहूत किया जाये तथा उनकी साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही रिकार्ड की जानी चाहिए। यदि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से साक्ष्य लिया जाना संभव न हो तब उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

(बी.पी. शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

नोटः– यह दिशा निर्देश पूर्व में रजिस्ट्री ज्ञापन सी/6821 दिनांक 29/08/91, सी/5326 दिनांक 14.10.93 एवं डी/449 दिनांक 31.01.2012 को संशोधित करते हुए जारी किए जा रहे हैं।